

श्रीमद्भगवद्गीता एवं लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु मानक

डॉ० सुधांशु कुमार पाण्डेय

सहायक प्रोफेसर (बी०एड० विभाग)

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत

skpandey.rdc@gmail.com

सारांश

जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित सूचनाओं को जनता त्वरित रूप से, जैसी वे प्रसारित हुई हैं वैसा ही, स्वीकारती है क्योंकि आम जनमानस घटनाओं में निहित क्यों, कब, कैसे, क्या होगा अब? जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु सूचना संचार माध्यमों पर निर्भर होता है। वर्तमान काल में लोक सूचना सम्प्रेषण का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। वर्तमान काल में सूचनाओं का केवल लोक सम्प्रेषण ही नहीं हो रहा अपितु सूचनाओं का निर्माण, उनका स्वहित लाभानुरूप सम्पादन एवं तथ्य गोपन करते हुए सम्प्रेषण किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु मानकों की अत्यावश्यकता है। श्रीमद्भगवद्गीता का दर्शन लोक सम्प्रेषण के मानकों की स्थापना हेतु अत्यन्त सहायक है। श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय दार्शनिक परंपरा में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित है। लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु क्या मानक होने चाहिए इनका उत्तर भी श्रीमद्भगवद्गीता के तत्व विवेचन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में वर्तमान परिस्थिति में लोक सम्प्रेषण का परीक्षण श्रीमद्भगवद्गीता के तत्व विवेचन द्वारा करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि जनमानस लोकतन्त्र में सम्पूर्ण रूप से शक्तिशाली होते हुए भी सूचना प्राप्ति हेतु सूचना सम्प्रेषण माध्यमों पर निर्भर है, लोक सूचना सम्प्रेषकों को लोक सम्प्रेषण माध्यमों हेतु सम्प्रेषण का भाषा माध्यम जनमानस की भाषा में रखना चाहिए, यथा दृष्ट तथा उद्धृत का पालन लोक सम्प्रेषण हेतु किया जाय। श्रीमद्भगवद्गीता का तत्त्वान्वेषण लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु सन्दर्भ अवश्य दिये जाने एवं लोक सूचना सम्प्रेषण माध्यमों हेतु निर्भीकता एवं निष्पक्षता का मानक निर्धारित करता है।

मुख्य पद— श्रीमद्भगवद्गीता, लोक सूचना सम्प्रेषण, मानक

श्रीमद्भगवद्गीता एवं लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु मानक

संकटापन्न परिस्थितियों में समाज के प्रत्येक समूह वे औपचारिक हों अथवा अनौपचारिक, राजकीय हों अथवा निजी स्वधर्म पालन करते रहे हैं। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्र की विधि निर्माणकारी संस्थाओं का उत्तरदायित्व लोक हित के महत्व वाले विषयों पर उपयुक्त नीति का निर्माण करना होता है। शासन-प्रशासन अर्थात् कार्यपालिका का कार्य विधि निर्माणकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानदंडों के आलोक में अपने नागरिकों को त्वरित सहायता मुहैया कराना, सुरक्षा मुहैया कराना, उनके भविष्य को मंगलकारी बनाने के प्रयास करना होता है। न्यायपालिका का कार्य यह देखना होता है कि निर्मित विधि एवं विधि के अनुरूप संपादित कृत्य सम्यक, जनकल्याणकारी एवं किसी प्रकार के मानवीय अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना शुद्ध अन्तःकरण से संपादित हों। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कार्य लोक सूचना सम्प्रेषण का भी है। लोक सूचना सम्प्रेषण का कार्य सामान्यतः जन संचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है। जन संचार माध्यमों से तात्पर्य किसी सूचना के प्रसार करने वाले उन साधनों की प्रणाली से है जो यथासंभव समाज के प्रत्येक स्तर के मनुष्य को समानता एवं बिना किसी भेदभाव के सूचनाएँ पहुँचाने का काम करें।

जन संचार माध्यम सूचनाएँ नहीं बनाते अपितु सूचनाओं को लोगों के सम्मुख रख कर उनको सूचना देने का कार्य करते हैं ताकि समाज के व्यक्ति अपने अनुरूप उन खबरों का विश्लेषण करके अपना मत तैयार कर ले। इस प्रकार जन संचार माध्यमों के सन्दर्भ में यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जन संचार माध्यमों की भूमिका सूचनात्मक अधिक है। जन संचार साधन सूचनाओं को रोचक, उत्प्रेरणात्मक एवं उनके देशकाल पर पड़ने वाले प्रभावों के अनुपात में उत्तेजना में वृद्धि करके अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और बिना किसी पूर्व निर्धारित अर्थापन नियम के उपभोक्ता उन समाचारों एवं सूचनाओं की महत्ता के अनुरूप उसको श्रेणीबद्ध करके सूचनाओं के प्रति व्यवहार करते हैं। घटना स्वयं में एक भाव छिपाये हुई होती है। जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित सूचनाओं को जनता त्वरित रूप से, जैसी वे प्रसारित हुई हैं वैसा ही, स्वीकारती है क्योंकि आम जनमानस घटना में निहित क्यों, कब, कैसे, क्या होगा अब? जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु सूचना संचार माध्यमों पर निर्भर होता है।

वर्तमान समय सूचना विस्फोट का समय है। वर्तमान काल में सूचनाओं का केवल लोक सम्प्रेषण ही नहीं हो रहा अपितु सूचनाओं का निर्माण, उनका स्वहित लाभानुरूप सम्पादन एवं तथ्य गोपन करते हुए सम्प्रेषण किया जा रहा है। अनेकानेक सामाजिक सूचना संचार पटलों, समाचार अभिकरणों एवं निजी व्यक्तियों के माध्यम से सूचनाएँ (असली हों या नकली) प्रसारित हो रही हैं। ये परिस्थिति समाज हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। वर्तमान परिस्थिति में लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु मानकों की अत्यावश्यकता है। श्रीमद्भगवद्गीता का दर्शन लोक सम्प्रेषण के मानकों की स्थापना हेतु अत्यन्त सहायक है। श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय दार्शनिक परंपरा में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित है। गीता माहात्म्य में कहा गया है—

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।

पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ।।¹

इस श्लोक का भावार्थ है कि श्रीमद्भगवद्गीता समस्त उपनिषदों का सार है। जीवन का कोई आयाम ऐसा नहीं है, जिस हेतु उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर श्रीमद्भगवद्गीता में न मिले।

लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु क्या मानक होने चाहिए इनका उत्तर भी श्रीमद्भगवद्गीता के तत्व विवेचन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम हम प्रथम श्लोक को ध्यान में रखते हैं। प्रथम श्लोक कुरु वंश के शासक धृतराष्ट्र द्वारा अपने सारथी सञ्जय को संबोधित है। यहाँ धृतराष्ट्र को जनमानस के समान माना जा सकता है जो अपने लोक सम्प्रेषक माध्यम सञ्जय से जानना चाहते हैं कि धर्मक्षेत्र में उपस्थित समस्त योद्धा क्या कर रहे हैं?

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १-१॥²

इस सन्दर्भ की वर्तमान परिस्थिति से तुलना करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि “जनमानस लोकतन्त्र में सम्पूर्ण रूप से शक्तिशाली होते हुए भी सूचना प्राप्ति हेतु सूचना सम्प्रेषण माध्यमों पर निर्भर है।”

धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते समय सञ्जय धृतराष्ट्र को उनकी ही भाषा में उत्तर देते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के तत्व विवेचन के अनुरूप सूचना प्राप्तकर्ता एवं सूचना दाता के मध्य सम्प्रेषण भाषा के माध्यम का अंतर दृष्टव्य नहीं होता है। वर्तमान काल में प्रचलित सम्प्रेषण तकनीकी में भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है कि सूचना प्राप्ति जिस भाषा माध्यम में चाही गयी है उसी भाषा माध्यम में सूचना उपलब्ध कारवाई जाय। इस प्रकार “लोक सूचना सम्प्रेषकों को लोक सम्प्रेषण माध्यमों हेतु सम्प्रेषण का भाषा माध्यम जनमानस की भाषा में रखना चाहिए।”

धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते समय सञ्जय उनको बताते हैं कि कैसे राजा दुर्योधन, आचार्य द्रोण के निकट जाते हैं एवं उनसे वार्तालाप करते हैं।

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ १-२॥³

सञ्जय धृतराष्ट्र को यह भी विवरण देते हैं कि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से अन्य किन राजाओं के सन्दर्भ में वार्ता की परंतु कहीं भी यह प्रतीत नहीं होता है कि सञ्जय इस विवरण में कुछ मनगढ़ंत अथवा अपनी मति से जोड़ अथवा घटा रहे हों। घटनाएँ जिस क्रम में घटित होती हैं सञ्जय उन घटनाओं को उस क्रम में ही धृतराष्ट्र के सम्मुख विवरणित कर देते हैं। सञ्जय जो कुछ भी अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में घटित होते हुए देखते हैं शुद्ध रूप से उसका ही विवरण धृतराष्ट्र के सम्मुख रख देते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के तत्त्व विवेचन से यह स्पष्ट रूप से निगमित होता है कि सञ्जय लोक सम्प्रेषक के रूप में यथा दृष्ट तथा उद्धृत के नियम का पालन करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में भी यह आवश्यक है कि श्रीमद्भगवद्गीता के इस मानकीय सूत्र **“यथा दृष्ट तथा उद्धृत”** का पालन लोक सम्प्रेषण हेतु किया जाय।

श्रीमद्भगवद्गीता में सञ्जय धृतराष्ट्र को सूचना प्रदान करने के क्रम में केवल मुख्य घटनाओं पर ही ध्यान केन्द्रित कर उनका सम्प्रेषण करते हैं। उदाहरणस्वरूप श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में दृष्टव्य है—

सञ्जय उवाच

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ १-२४॥⁴

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ १-२५॥⁵

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृन्पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ १-२६॥⁶

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥ १-२७॥⁷

उपर्युक्त श्लोकों में सञ्जय केवल मुख्य बात अर्जुन द्वारा रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करने एवं इसके उपरांत की घटनाओं का विवरण देते हैं। इस सन्दर्भ में प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या इस घटना के कारण अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया होगा? इसका उत्तर है निःसन्देह आया होगा। युद्ध के मैदान में जब युद्धघोष हो चुका हो किसी योद्धा का इस प्रकार बिना सेना के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करना असामान्य घटना नहीं है। परंतु सञ्जय केवल इस प्रमुख घटना का विवरण ही धृतराष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं अन्य गौण घटनाओं का नहीं। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता का तत्त्वान्वेषण वर्तमान परिप्रेक्ष्य हेतु **“केवल मुख्य घटना के लोक सम्प्रेषण का मानक निष्पादित करता है।”**

श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि लोक सम्प्रेषक द्वारा जो भी सूचनात्मक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनका यथा स्थान एवं यथा क्रम में सन्दर्भ भी दिया जाता है अर्थात् तथ्य निरूपण करने वाले व्यक्ति का नाम अवश्य उद्धृत किया जाता है यथा श्रीभगवान् उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, सञ्जय उवाच, अर्जुन उवाच। इस प्रकार जनसामान्य को यह स्पष्ट

हो जाता है कि अमुक तथ्य अमुक संदर्भोत्पन्न है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता तत्त्वार्थ विवेचन द्वारा वर्तमान सन्दर्भ में "लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु सन्दर्भ अवश्य दिये जाने का मानक निष्पादित होता है।"

श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में जब सञ्जय, धृतराष्ट्र के सम्मुख कुरुक्षेत्र की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे तो सञ्जय कहते हैं—

तस्य सञ्जनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः ।

सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १-१२॥⁸

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् ॥ १-१६॥⁹

अर्थात् कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रतापी पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ एवं पांडवों की ओर से विभिन्न महारथियों द्वारा बजाए गए शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गयी जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। इसी प्रकार अष्टादश अध्याय में सञ्जय धृतराष्ट्र के सम्मुख ही कहते हैं—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ १-७८॥¹⁰

अर्थात् जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं एवं जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। एक व्यक्ति स्वयं के शासक के सम्मुख निष्पक्ष रूप से घटनाओं को वर्णित करते हुए उसके पुत्र के हर्ष, शासक पुत्रों के विपक्षी योद्धाओं द्वारा कृत शंख ध्वनि से भयांकृत हो जाने की बात एवं सम्यक विचारोपरांत सूचना सम्प्रेषण के अंत में बिना किसी राग-द्वेष के स्वयं का मत (जो शासक की पराजय के विषय में हो) भी प्रकट कर दे तो उसकी निर्भीकता एवं निष्पक्षता का स्तर यहाँ विचारणीय हो जाता है। यह निर्भीकता एवं निष्पक्षता सञ्जय में है क्योंकि वह लोक सम्प्रेषक के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु श्रीमद्भगवद्गीता का तत्त्वान्वेषण "लोक सूचना सम्प्रेषण माध्यमों हेतु निर्भीकता एवं निष्पक्षता का मानक निर्धारित करता है।"

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता का तत्त्वार्थ विवेचन लोक सूचना सम्प्रेषण हेतु विभिन्न संचार माध्यमों एवं पटलों के माध्यम से सम्प्रेषित लोक सूचना के सम्प्रेषण हेतु निश्चित मानकों का निर्धारण करता है। यदि इन मानकों का पालन किया जाय तो जाली सूचनाओं, भुगतान उत्पन्न सूचनाओं, मनगढ़ंत सूचनाओं आदि से मुक्ति मिलेगी एवं सत्य, निष्पक्ष, निर्भीक, जनमत निर्माणकारी, तथा जनोपयोगी सूचनाओं के सम्प्रेषण में सहायता मिलेगी।

सन्दर्भ

¹ स्वामी, ए0सी0 भक्तिवेदांत प्रभूपद (2012), गीतोपनिषद श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप सम्पूर्ण एवं अखंड संस्करण, भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुहू, मुंबई (ISBN: 978-93-82176-33-6), पृ0 27

² वही, पृ0 29

³ वही, पृ0 31

⁴ वही, पृ0 40

⁵ वही, पृ० 41

⁶ वही, पृ० 41

⁷ वही, पृ० 41

⁸ वही, पृ० 35

⁹ वही, पृ० 38

¹⁰ वही, पृ० 561